

राजस्थान-सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राज0 जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी/जोन-जोधपुर/एफ29861/2025/ दिनांक :

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: एफ.11 (7)वित्त/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं संशोधित आदेश क्रमांक: एफ.14 (88)वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 एवं दिनांक 05.07.2013 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार श्री पुनाराम चौधरी, कनिष्ठ सहायक, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, उपजिला चिकित्सालय, बाली जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 22.04.1984 वार्ड बॉय के पद पर है एवं लिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नति तिथि 31.03.2000 है, को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 22.04.2011 से 5200-20200 ग्रेड पे. 2100 चयनित वेतन श्रृंखला/एसीपी स्वीकृत किया जाता है।

- नोट:- 1- उक्त कर्मचारी का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से नियमानुसार किया जावेगा।
- 2- कार्मिक को 27 वर्षीय एसीपी का वास्तविक/नगद लाभ कनिष्ठ सहायक पद पर कार्यग्रहण की तिथि 25.04.2013 से देय होगा।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी/जोन-जोधपुर/एफ29861/2025/29

दिनांक : 30/04/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, उपजिला चिकित्सालय, बाली, पाली।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अवलोड करें।
4. श्री पुनाराम चौधरी, कनिष्ठ सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :28-01-2025 07:20:51